उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

संख्या–3202/11/ई–1/2022–23

प्रयागराज, दिनांक 19 सितम्बर, 2026

<u>शुद्धि–पत्र</u>

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या–डी–6/ई–1/2025, दिनांक 22–12–2025 के माध्यम से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत औषधि निरीक्षक(विभाग सं0–सेवा–6/04) की 26 रिक्तियों पर चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया था जिसके लिए ऑन–लाइन आवेदन स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि 22–01–2026 थी, जिसमें प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता (हिन्दी व अंग्रेजी विज्ञापन में) निम्नवत् थी :–

अनिवार्य अर्हताएंः–

"**(एक)** नैदानिक भेषज विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भेषजी या भेषजिकी विज्ञान या आयुर्विज्ञान में उपाधि या समकक्ष उपाधि।

(दो) (क) औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 की अनुसूची 'ग' में विनिर्दिष्ट पदार्थो में कम से कम एक पदार्थ के विनिर्माण में अठारह माह का अनुभव या

(ख) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा परीक्षण के प्रयोजनार्थ अनुमोदित प्रयोगशाला में औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 की अनुसूची 'ग' में विनिर्दिष्ट पदार्थो में कम से कम एक पदार्थ का परीक्षण करने का अठारह माह का अनुभव या

(ग) किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार में औषधि निरीक्षक के रूप में अपनी सेवा के दौरान औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 की अनुसूची 'ग' में विनिर्दिष्ट पदार्थो में से किसी पदार्थ विनिर्माण करने वाली फर्मो के निरीक्षण में तीन वर्ष का अनुभव।

<u>समकक्ष अर्हता–</u> बी0फार्मा या बैचलर इन फार्मास्युटिकल साइंसेज या बैचलर इन मेडिसीन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लीनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या फार्म डी।"

Essential Qualifications:-

"(1) Degree in Pharmacy or Pharmaceutical Sciences or Medicine with specialization in Clinical Pharmacology or Microbiology or equivalent from a recognized University;

(2) (a) Eighteen months' experience in the manufacture of at least one of the substances specified in Schedule 'C' to the Drug and Cosmetics Rules 1945; or

(b) Eighteen months' experience in testing of atleast one of the substances specified in Schedule 'C' to the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 in a laboratory approved for this purpose by the licensing authority; or

(c) Three years' experience in the inspection of firms manufacturing any of the substances specified in Schedule 'C' to the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 during the tenure of their services as Drug Inspector of any State Government or Central Government.

<u>समकक्ष अर्हता–</u> बी0फार्मा या बैचलर इन फार्मास्युटिकल साइंसेज या बैचलर इन मेडिसीन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लीनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या फार्म डी।"

उपर्युक्त विज्ञापन में प्रश्नगत पद के विरूद्ध योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) सं0–3168/2026 दीपक कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–10.04.2026 के अनुपालन में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–1/1369148/2026/88–107/2/2025, दिनांक–18.06.2026 द्वारा औषधि निरीक्षक पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता (हिन्दी व अंग्रेजी में) निम्नवत् निर्धारित की गयी है :–

"मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से भेषजी या भेषज विज्ञान या नैदानिक भेषज गुण विज्ञान अथवा सूक्ष्म जीव विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ आयुर्विज्ञान में स्नातक।"

"Degree in Pharmacy or Pharmaceutical Sciences or Medicine with specialization in Clinical Pharmacology or Microbiology from a University established in India by law."

अतः मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक–18.06.2026 द्वारा उक्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु विज्ञापन संख्या–डी–6/ई–1/2025, दिनांक 22–12–2025 को पुनः खोला (री–ओपेन) जा रहा है। अतः विज्ञापन की अंतिम तिथि 22.01.2026 तक शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी दिनांक 21.09.2026 से आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापन की शेष शर्ते यथावत रहेंगी। पूर्व में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि : 21.09.2026
ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार (SUBMIT) किये जाने की अन्तिम तिथि : 21.10.2026
ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान (Fee reconciliation) की अंतिम तिथि : 28.10.2026

भवदीय,

/

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
सचिव